न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक के समक्ष

शोक कौर- याची

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 4916/2011

10 जुलाई,2013

***भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - रिट क्षेत्राधिकार - स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार - का रद्द करना - क्या न्याय की अवहेलना है?- याचिकाकर्ता को मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा बीमा कवर मिला और पॉलिसी के लिए एक पहचान पत्र जारी किया गया - बीमा कवर की वैधता की अवधि के दौरान कैंसर से पीड़ित - पीजीआईएमएस रोहतक में इलाज मिला - उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया गया कि पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में केवल सरकारी अस्पताल ही पॉलिसी के तहत कवर किए गए हैं जबकि हरियाणा राज्य में पीजी 1 एमएस रोहतक को इस नीति के तहत कवर नहीं किया गया है - माना जाता है कि एक बार देश के इस हिस्से में स्थित 150 से अधिक निजी अस्पताल मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों में से एक हैं, पीजीआईएमएस रोहतक, एक सरकारी अस्पताल को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है - हरियाणा राज्य में पीजी आईएमएस रोहतक या किसी अन्य सरकारी अस्पताल के लिए कोई बहिष्करण खंड नहीं - अवार्ड को बनाए नहीं रखा जा सकता है - चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार पॉलिसीधारक - रिट याचिका की अनुमति दी गई।***

अभिनिर्धारित किया कि, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 8-सोसाइटी का सदस्य था। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 8-सोसाइटी के माध्यम से मेडिक्लेम पॉलिसी धारक था। मेडिक्लेम पॉलिसी की वैधता अवधि भी विवाद में नहीं है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में स्थित 171 अस्पतालों की सूची है, जिसमें जिला फिरोजपुर के सात अस्पताल शामिल हैं, जो निजी अस्पताल थे, जो याचिकाकर्ता की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के तहत आते थे। पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम के सभी अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और पंजाब राज्य, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अस्पतालों के नेटवर्क के तहत भर्ती किया गया था। एक बार जब देश के इस हिस्से में स्थित 150 से अधिक निजी अस्पताल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शामिल थे, तो विचाराधीन मेडिक्लेम पॉलिसी के उद्देश्य से, यह बिल्कुल भी अपील नहीं करता है कि पीजीआईएमएस, रोहतक, जो कि एक सरकारी अस्पताल था, को कैसे और क्यों बाहर रखा जा सकता था। यह कहने के बाद, इस

न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि आक्षेपित पुरस्कार को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(अनुच्छेद 9)

अभिनिर्धारित किया कि, कि यहां ऊपर चर्चा किए गए मामले के विभिन्न पहलुओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि उपरोक्त समावेशी खंड 2.1 की एकमात्र सामंजस्यपूर्ण व्याख्या, जिसे अनुलग्नक पी-2 के साथ पढ़ा जाए, यह होगा कि पॉलिसीधारक किसी भी सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार था। विपरीत व्याख्या इस लाभकारी मेडिक्लेम पॉलिसी के उद्देश्य और उद्देश्य को हरा देगी। इसके अलावा, प्रतिवादी बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता के वास्तविक और उचित दावे से भी इनकार करना शोभा नहीं देता, जिसके लिए कैंसर के इलाज के लिए खर्च किया गया था और उपचार केवल एक सरकारी अस्पताल से लिया गया था।

(अनुच्छेद 13)

पंकज कटिया, याचिकाकर्ता के वकील ।

आर.सी. गुप्ता, प्रतिवादी नंबर 4 से 6 के लिए वकील।

**न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक-**

1. स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवा), फिरोजपुर द्वारा पारित दिनांक 28.12.2010 (अनुलग्नक पी -11) के फैसले के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता-दावेदार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया है, जिसमें आक्षेपित पुरस्कार को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट की मांग की गई है।

2. तथ्य पहले।

3. याचिकाकर्ता खुई खेड़ा सहकारी कृषि सेवा समिति लिमिटेड-प्रतिवादी नंबर 8 का सदस्य था। प्रतिवादी नंबर 8-सोसाइटी का सदस्य होने के नाते, याचिकाकर्ता ने भाई घनया सेहत सेवा योजना के रूप में जानी जाने वाली मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत खुद का बीमा करवाया। याचिकाकर्ता को उसकी पॉलिसी नंबर, वैधता अवधि, कार्ड नंबर और

अन्य प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख करते हुए एक पहचान पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का यह मामला आगे पेश किया गया है कि पहचान पत्र अनुलग्नक पी-1 को छोड़कर, कोई अन्य दस्तावेज या पॉलिसी के नियम और शर्तें उसे प्रदान नहीं की गईं। मेडिक्लेम पॉलिसी की वैधता अवधि 1.10.2008 से 30.9.2009 तक थी। बीमा पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को जून, 2009 के अंतिम सप्ताह में अपने पेट में गंभीर दर्द महसूस हुआ। उन्होंने लगभग दो दिनों तक स्थानीय डॉक्टरों से परामर्श किया और फिर आगे की जांच के लिए पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रोहतक (संक्षेप में 'पीजीआईएमएस') गए। पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों ने याचिकाकर्ता का क्लीनिकल टेस्ट किया और पाया कि वह कैंसर से पीड़ित है। बिना समय बर्बाद किए, कहीं देर न हो जाए, पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों ने याचिकाकर्ता का इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान याचिकाकर्ता को अपने इलाज पर भारी खर्च उठाना पड़ा। कई मेडिकल बिलों की प्रतियां अनुबंध पी -3 से पी -8 में संलग्न हैं। जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बीमा कंपनी से संपर्क किया और अपनी उपरोक्त मैकडिक्लेम पॉलिसी के तहत अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की मांग की, तो याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने कानूनी सेवा अधिनियम (अनुबंध पी-9) की धारा 22 (1) (सी) के तहत अपने आवेदन के माध्यम से स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), फिरोजपुर से संपर्क किया। प्रतिवादी बीमा कंपनी ने अनुबंध पी-10 के तहत अपना जवाब दायर किया और उसके बाद, विद्वान स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), फिरोजपुर ने दिनांक 28.2.2010 (अनुबंध पी-11) के विवादित निर्णय के माध्यम से याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

4. प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और उसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए कथनों का खंडन करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था।

5. उपरोक्त प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा अपने संयुक्त लिखित बयान में यह रुख अपनाया गया था कि केवल पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम, सिविल अस्पताल और पंजाब राज्य,

चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों को ही मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा, न कि पीजीआईएमएस रोहतक।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुबंध पी-2 में संलग्न गाइड बुक और नेटवर्क अस्पतालों की सूचना के प्रासंगिक भाग का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल से प्राप्त उपचार की सुविधा पॉलिसी के तहत कवर की जाएगी और याचिकाकर्ता उसके द्वारा किए गए पूरे चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को कोई अन्य दस्तावेज या पॉलिसी के नियम और शर्तें कभी भी आपूर्ति नहीं की गईं, सिवाय एक पहचान पत्र, अनुलग्नक पी -1 के। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, साधारण ग्रामीण और विनम्र कृषक होने के नाते, उन्हें किसी भी समय तकनीकी के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, जिन्हें अब प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा सेवा में लाने की मांग की गई है, ताकि याचिकाकर्ता के वास्तविक और उचित दावे को अस्वीकार किया जा सके। अगर याचिकाकर्ता ने किसी निजी अस्पताल से चिकित्सा उपचार प्राप्त किया होता, तो प्रतिवादी बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने में उचित ठहराया जा सकता था, क्योंकि इसे सत्यापित करना मुश्किल होता। हालांकि, वर्तमान आसानी से, याचिकाकर्ता को केवल सरकारी अस्पताल से चिकित्सा उपचार मिला। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि सभी सरकारी अस्पताल गाइड बुक और नेटवर्क हॉस्पिटल्स की सूचना, अनुलग्नक पी -2 के तहत कवर किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता के दावे को स्थायी लोक अदालत द्वारा अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को मेडिक्लेम का हकदार ठहराया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि केवल पंजाब और दिल्ली के सरकारी अस्पताल ही इस नीति के अंतर्गत आते हैं, न कि हरियाणा राज्य में स्थित सरकारी अस्पताल। वह आगे प्रस्तुत करता है कि स्थायी लोक अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कानून की कोई त्रुटि नहीं की, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। अंत में, वह रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

8. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मामले के रिकॉर्ड के सावधानीपूर्वक अवलोकन और उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारशील विचार करने के बाद, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि विद्वान स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित दिनांक 28.12.2010 (अनुलग्नक पी-11) के आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई है और वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा कहने के लिए, कारण अधिक हैं, जिन्हें इसके बाद दर्ज किया जा रहा है।

9. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 8-सोसाइटी का सदस्य था। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 8-सोसाइटी के माध्यम से मेडिक्लेम पॉलिसी धारक था। मेडिक्लेम पॉलिसी की वैधता अवधि भी विवाद में नहीं है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में स्थित 171 अस्पतालों की सूची है, जिसमें जिला फिरोजपुर के सात अस्पताल शामिल हैं, जो निजी अस्पताल थे, जो याचिकाकर्ता की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के तहत आते थे। पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम के सभी अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और पंजाब राज्य, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अस्पतालों के नेटवर्क के तहत भर्ती किया गया था। एक बार जब देश के इस हिस्से में स्थित 150 से अधिक निजी अस्पताल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शामिल थे, तो विचाराधीन मेडिक्लेम पॉलिसी के उद्देश्य से, यह बिल्कुल भी अपील नहीं करता है कि पीजीआईएमएस, रोहतक, जो कि एक सरकारी अस्पताल था, को कैसे और क्यों बाहर रखा जा सकता था। यह कहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि आक्षेपित पुरस्कार को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

10. अनुबंध पी-2 में संलग्न नेटवर्क अस्पतालों की गाइड बुक और सूचना का प्रासंगिक उद्धरण, जो विचाराधीन बीमा पॉलिसी और रिकॉर्ड के मामले का पेल है, निम्नानुसार है: -

*उन्होंने कहा, "लाभार्थी पंजाब के किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में इलाज करा सकता है, जिसे भाई घन्या ट्रस्ट ने योजना के नियमों और शर्तों के तहत मंजूरी दी है। उपचार की इस सुविधा का लाभ किसी भी सरकारी अस्पताल से भी उठाया जा सकता है, लेकिन लाभार्थी को पहले बिल की राशि का भुगतान करना होगा और फिर*

*टीपीए से इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।*

सरकारी अस्पतालों पर लागू परिचालन नियम और शर्तें बीमा पॉलिसी के अनुबंध पी-III के खंड 2 में प्रदान की गई हैं। प्रासंगिक खंड 2 और 2.1 निम्नानुसार पढ़ें: -

***2. "सरकारी अस्पतालों पर लागू परिचालन नियम और शर्तें।***

*2.1 पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम (पीएचएसएसी), सिविल अस्पतालों और पंजाब और चंडीगढ़ और नई दिल्ली राज्यों में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सभी अस्पतालों को स्वचालित रूप से प्रदाता अस्पतालों की सूची में शामिल किया जाएगा, जहां लाभार्थी योजना के नियमों और शर्तों के तहत कवर की गई चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।"*

11. हालांकि, प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा दायर लिखित बयान में, अनुबंध पी -10 में संलग्न स्थायी लोक अदालत के सामने, लिखित बयान के पैरा 7 में इस संबंध में लिए गए कथन निम्नानुसार हैं:

*हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रतिपूर्ति केवल पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों से ही अनुमति है।*

12. मेडिक्लेम पॉलिसी के उपरोक्त प्रासंगिक नियमों और शर्तों और प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा किए गए कथनों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिवादी कंपनी की ओर से प्रयास केवल याचिकाकर्ता के वास्तविक दावे को हराने के लिए था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध पी-2 में स्पष्ट रूप से किसी सरकारी अस्पताल के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि खण्ड 21 में पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम के सिविल अस्पतालों और पंजाब, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के बारे में उल्लेख किया गया है। स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर लिखित बयान में, प्रतिवादी बीमा कंपनी ने केवल पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों के बारे में भर्ती कराया है, नई दिल्ली के बारे में चुप रहते हुए जो खंड 2.1 के विपरीत है। इसके अलावा, खंड 2.1 को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक समावेशी खंड था। तथापि, नीति में ऐसा कोई विशेष खण्ड नहीं था जिसमें हरियाणा राज्य के भीतर स्थित सरकारी अस्पतालों को भी विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया हो।

13. यहां ऊपर चर्चा किए गए मामले के विभिन्न पहलुओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि अनुलग्नक पी-2 के साथ पठित उपर्युक्त समावेशी खंड 2.1 की एकमात्र सामंजस्यपूर्ण व्याख्या यह होगी कि पॉलिसीधारक किसी भी सरकारी अस्पताल से प्राप्त उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार था। विपरीत व्याख्या इस लाभकारी मेडिक्लेम पॉलिसी के उद्देश्य और उद्देश्य को हरा देगी। इसके अलावा, प्रतिवादी बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता के वास्तविक और उचित दावे से भी इनकार करना उचित नहीं है, जिसके लिए कैंसर के इलाज के कारण खर्च किया गया था और उपचार केवल एक सरकारी अस्पताल से लिया गया था।

14. आक्षेपित पंचाट को पारित करते समय, जिन कारणों को स्थायी लोक अदालत विशेषकर आक्षेपित पंचाट के पैरा 5 में महत्व दिया गया था, वे पूर्णत अप्रासंगिक पाए गए हैं। प्रतिवादी बीमा कंपनी के विद्वान वकील इस संबंध में अपने तर्कों को साबित करने में विफल रहे। स्थायी लोक अदालत ने अनुबंध पी-2 को पूरी तरह से खो दिया है और समावेशी खंड 2.1 को गलत समझा है। इसने प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में लिए गए रुख को भी गलत समझा। इसके अलावा, अनुबंध के तहत बीमा पॉलिसी का एक और महत्वपूर्ण खंड, यानी खंड 1.21, जो पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं और योजना के लाभों से संबंधित है, निम्नानुसार है:-

*"1.21 सरकारी अस्पतालों को छोड़कर गैर-नेटवर्क अस्पतालों में उपचार कवर नहीं किया गया है। नेटवर्क अस्पतालों में केवल नकदी रहित अस्पताल में भर्ती होने और सरकारी अस्पतालों में प्रतिपूर्ति/नकदी रहित अस्पताल में भर्ती होने को कवर किया जाना है। सरकारी अस्पतालों में उपचार सरकारी अस्पताल दरों पर कवर किया जाएगा।*

15. यदि उपर्युक्त खंड 121 को अपवर्जन खंड माना जाता है तो सभी सरकारी अस्पताल मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। स्थायी लोक अदालत ने मामले के इस भौतिक पहलू को भी न समझते हुए खुद को गलत दिशा में पेश किया है। इस प्रकार, आक्षेपित पुरस्कार को इस कारण से भी बनाए नहीं रखा जा सकता है।

16. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क सशक्त और आश्वस्त करने वाला पाया गया है कि याचिकाकर्ता, एक साधारण ग्रामीण और विनम्र कृषक होने

के नाते, जिसे नीति के नियम और शर्तें नहीं सौंपी गई थीं या कभी भी समझाया नहीं गया था, पीजीआईएमएस रोहतक से इलाज से बचने के उद्देश्य से योजना की तकनीकी और सुपर तकनीकी को जानने की उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार, तर्क स्वीकार करने योग्य है।

17. ऊपर उल्लिखित मामले की दी गई तथ्य स्थिति में, यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि याचिकाकर्ता एक प्रामाणिक दावेदार था और पीजीआईएमएस, रोहतक से प्राप्त कैंसर के इलाज पर उसके द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार था, जो एक सरकारी अस्पताल है।

18. कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

19. उपरोक्त उल्लिखित मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आक्षेपित पुरस्कार 28.12.2010 (अनुलग्नक पी -11) को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा इसे अलग रखने का आदेश दिया जाता है।

20. नतीजतन, प्रतिवादी बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर वास्तविक दावेदार, कैंसर रोगी को अनुचित उत्पीड़न के कारण मुआवजे के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी प्लस 50,000/- (पचास हजार मात्र) की निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति करे।

21. यदि प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता को दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर 2,50,000/- रुपये की उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर आवेदन की तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख तक @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

22. नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

***एस. गुप्ता***

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा